अध्याय III : उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय

उपभोक्ता कार्य विभाग

3.1 अप्राधिकृत व्यय

उपभोक्ता कार्य विभाग ने निधियों की अपनी अतिरिक्त आवश्यकता को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो सांविधिक निकायों के माध्यम से ₹1.08 करोड़ का प्रबंध करके पूरा किया। विभाग के कार्य का बजटीय प्रावधानों से अधिक होने तथा संसदीय प्राधिकरण का परिगमन करने का प्रभाव था जो अप्राधिकृत व्यय का कारण बना।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का निमय 52(3) निर्धारित करता है कि कोई भी व्यय, जिसका प्रभाव, एक वित्तीय वर्ष हेतु विधिवत संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक होने पर हो सकता है, आकस्मिक निधि से अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग या अग्रिम प्राप्त करने के उपरान्त के अतिरिक्त, नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता कार्य विभाग (विभाग) को 2011-12 के दौरान विषय शीर्ष 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत कुल ₹1.83 करोड़ का आवंटन किया गया था जो सम्पूर्ण वर्ष के लिए अपर्याप्त् साबित हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अनुपूरक अनुदानों की प्रक्रिया के माध्यम से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता का संवर्धन करने की स्थापित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, इसके स्थान पर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, फारवर्डस मार्केट्स कमीशन (फा.मा.क.) मुंबई, को लेखन सामग्री, पेट्रोल, स्टाफ कार मरम्मतों, टेलीफोन प्रभारों आदि का भुगतान करने के लिए ₹80 लाख देने का अनुरोध किया (अक्तूबर 2011)। फा.मा.क. ने विभाग की ओर से दिसम्बर 2011 और फरवरी 2012 के बीच विभिन्न विक्रेताओं को ₹78.20 लाख के भुगतान किए। विभाग ने इसी प्रकार,

इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, एक अन्य सांविधिक न्याय भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) को ऋण आधार पर ₹30 लाख, जिन्हें बाद में वापस[1] किया जाना था, प्रदान करने हेतु भी अनुरोध किया (फरवरी 2012)। भा.मा.ब्यू. ने, विभाग की ओर से, विभिन्न विक्रेताओं को ₹29.45 लाख अदा किए।

विभाग के कार्य का बजटीय प्रावधानों से अधिक व्यय करने तथा व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण को रोकने का भी प्रभाव था। विभाग द्वारा किए ₹1.08 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय ने, शीर्ष 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत बजटीय आवंटन का 59 प्रतिशत से अधिक संघटित किया। इसके अतिरिक्त, सा.वि.नि. के नियम 46(5) के अंतर्गत किसी भी संशोधित अनुमान को संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहाकार (वि.स.) द्वारा संवीक्षा की जाएगी। तथापि, इस मामले में विभाग ने अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने से पहले अपने वि.स. से परामर्श नहीं किया था। परिणामस्वरूप, विभाग के लेखे बजटीय प्रावधानों[2] की तुलना में वास्तविक व्यय की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करते थे जो विभाग के भीतर वित्तीय अनुशासनहीनता तथा कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि इसके स्वायत्त सगठनों ने मंत्रालय से अनुरोधों की प्राप्ति पर, कुछ अपरिहार्य कार्यालय व्ययों हेतु, अपनी निधियां बचायी थी तथा भुगतान, संबंधित स्वायत्त संगठनों में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ किए गए थे।

---

1 राशि को मार्च 2014 तक वापस नहीं किया गया था।

2 मंत्रालय के अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों के अनुसार ₹2.29 करोड़ के आवंटित बजट के विरूद्ध (₹1.83 करोड़ सचिवालय हेतु तथा ₹0.46 करोड़ प्र.ले.का. हेतु), ₹2.28 करोड़ का व्यय दर्शाया गया था।

उत्तर मुख्य मामले का निपटान नहीं करता है परंतु कुछ-कुछ वर्तमान प्रावधानों को अनदेखा कर रही गलत प्रक्रिया का समर्थन करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि मंत्रालय तुरंत ऐसी प्रक्रिया को समाप्त करे।